(281) (157)

अध्यक्ष राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान् ~~कलेक्टर साहब सीधी~~, जिला– ~~सीधी~~ (म.प्र.)

R. 2830 - I/12

क्रमांक 2225 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 7-8-12 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगजीवन तनय रामनंदन विश्वकर्मा सा0–, नदहा, तहसील– मझौली, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— याचिकाकर्ता

बनाम

जगरनाथ विश्वकर्मा तनय रामनिवास विश्वकर्मा सा0– नदहा, तहसील– मझौली, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— उत्तरवादी

अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी द्वारा प्रस्तुत आज दि. 28.7.2012
28/7/12

पुनः निरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय मझौली, जिला– सीधी प्रकरण क्रमांक– 16/अपील/11–12 निर्णय दिनांक– 03.07.12 बावत् निरस्त किये जाने अपील समय सीमा पर।

मान्यवर,

याचिकाकर्ता निम्न आधारों पर मातहत अदालत के उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः निरीक्षण याचिका (निगरानी) प्रस्तुत करते हैं:–

1. यह कि याचिकाकर्ता एक गरीब, कृषक है और वह मझौली तहसील के ग्राम– नदहा का निवासी है और खेती का धन्धा करता है उसके पास कृषि के उपयोग में कुछ भूस्वामी स्वत्व की भूमियां हैं।

2. यह कि इस प्रकरण में उत्तरदाता जगरनाथ विश्वकर्मा तनय रामनिवास विश्वकर्मा ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रथम न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय मझौली के समक्ष आराजी क्रमांक– 443/0.26 है0 में से जुज रकवा 0.13 है0, 445/0.60 है0 में से जुज रकवा 0.10 है0 किता– 2 रकवा जुज 0.23 है0 का म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा– 178–110 के तहत हिस्सा बटनवारा किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया था जबकि उक्त भूमि याचिकाकर्ता के नितलबे

Ashok Tiwari Adv 28/7/12

(157)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2830-I/12 जिला सीधी

भागजीत विरूद्ध जगन्नाथ विश्वकर्मा

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मझौली के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03.07.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

राजस्व संहिता 1959 की धारा– 178–110 के तहत हिस्सा बटनवारा किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया था जबकि उक्त भूमि याचिकाकर्ता के नितलबे

Ashok Tiwari adv